**...ज्य सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर**

...यालय

निआमुदीन बनाम इमामुदीन आदि

...स्म मुकदमा — मु. नं. — वर्ष

| ...क | आज्ञा - पत्र |
|---|---|
| | दिया गया। पत्रावली दिनांक 13/8/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) |
| 13-8-24 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTACt पर व दौरान बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमियो के खसरा नम्बरें 1057, 1058, 1075 व 1076 वाके ग्राम धडेल नगर पटवार हल्का कोलिडा तहसील सीकर जिला सीकर मे अवस्थित है। इसी प्रकार अलादीन पुत्र वजीरा हुसैन पुत्र वजीरा, गफूर पुत्र महमदा विवादित भूमियो के बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काबिज काश्तकार रहे है। प्रार्थीगण विवादित भूमियो के 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हुसैन पुत्र वजीरा का एक मात्र वारिस है इसीप्रकार अप्रार्थी संख्या-1 विवादित भूमियो के 1/3 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार गफूर पुत्र महमदा का वारिस है। इसीप्रकार अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 10 विवादित भूमियो के 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार अलादीन पुत्र वजीरा के वारिसान है। परन्तु विवादित भूमियो का राजस्व रिकार्ड अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 तथा उनके पूर्वजो की साजिश वश गलतरूप से बना दिया गया। जमाबंदी संवत 2029 से 2032 पर नामान्तरण संख्या-473 व 480 का अंकन करते हुये कहीं गलत रूप से बना दी गई जिसमे प्रार्थी के पिता हुसैन पुत्र वजीरा का नाम हमख कर दिया गया तथा अलादीन के वारिसो का नाम 1/2 तथा अप्रार्थी संख्या-1 का नाम 1/2 हिस्से मे दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने हेतु कहा गया तो उन्होने इन्कार कर दिया। तथा विवादित भूमियो को वेस्ट डेमेज एव एलाइनेट करने पर आमादा फसाद हो रखे है। यदि वे अपनी कुचेष्टाओ मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होकर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी एव प्रथम दृष्टया का मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे सुदृढ है व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है इसलिए आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTACt स्वीकार कर फलवाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना प्रार्थनीय है।<br>दौरान बहस वकील अप्रार्थीगण ने जवाब आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि। वादी के |

| दिनांक | आज्ञा - पत्र |
|---|---|

के पिता का नाम हुसैन पुत्र वजीरा नहीं है। अपितु वादी महमदा का पुत्र है। तथा नहीं वादी कथित रूप से 1/3 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्तकार है न ही रहा, वादी ने दुर्भावना से पुरान एवं वास्तविक तथ्यों एवं रिकार्ड को छुपाकर कथित हुसैन पुत्र वजीरा का पुत्र बनकर असत्य, निराधार एवं अनावश्यक तथ्य अंकित कर झूठा व अनावश्यक वाद एवं आवेदन प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 473 एवं 480 को कानून द्वारा निर्धारित अवधि में चुनौति नहीं दिये जाने से प्रस्तुत वाद प्रथमतः अवधि बाधित है। इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं है नहीं सुविधा का सन्तुलन है इसलिए आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RT Act निषेधाज्ञा हर्जे-खर्चे सहित खारिज किये जाने योग्य प्रार्थनीय है।

वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित कृषि भूमि में अल्लादीन पुत्र वजीरा, हुसैन पुत्र वजीरा व गफ्फूर पुत्र महमदा बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काबिज काश्तकार रहे है। इस प्रकार वाद का निर्णय साक्ष्य के आधार पर होना है। इसलिए प्रथमदृष्टया का मामला प्रार्थी के पक्ष में सुदृढ़ एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी। इसलिए न्यायालय आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RT Act स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता है।

अतः आवेदन अन्तर्गत धारा RT Act 212 स्वीकार किया जाकर विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1057, 1058, 1075 व 1076 वाके ग्राम धोद नगर परबार हल्का कोलिडा तहसील सीकर जिला सीकर में उभयपक्षकारान को तादौरान दावा / मूलवाद के निस्तारण तक बेचान नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

यह फैसला आज दिनांक 13/8/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर